बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-ल0ज0सं0/नि0प्र0/नि0जांच-08/2026 /पटना, दिनांकः-

संकल्प

अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार पटना के पत्रांक-5686 दिनांक-03.08.2026 द्वारा श्री अरविन्द कुमार चौधरी, प्राक्कलन पदाधिकारी-सह-तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, रोहतास, सासाराम के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन करने के आरोप में उनके विरूद्ध दर्ज आर्थिक अपराध थाना-कांड सं0-15/2026 दिनांक-29.07.26, धारा-13(2) सह पठित-13(1)(B) भ्र0नि0अधि0-1988 (यथा संशोधित-2018) की सूचना विभाग को दी गयी है ।

2. अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार पटना के उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि श्री चौधरी के विरूद्ध उनके वैध आय से रू0 कुल-1,19,98,534 (एक करोड़ उन्नीस लाख अंठानवे हजार पाँच सौ चौतींस) मात्र अधिक की परिसंपत्ति अर्जन का प्रथम द्रष्टया साक्ष्य पाया गया है, जो कि श्री चौधरी के वैध आय से लगभग 85.05 प्रतिशत अधिक है ।

3. उपर्युक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है-

(i) श्री अरविंद कुमार चौधरी(आई0डी0-C140016), प्राक्कलन पदाधिकारी-सह-प्रभारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, रोहतास, सासाराम सम्प्रति प्राक्कलन पदाधिकारी-सह-सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, रोहतास, सासाराम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(ग) के तहत निलंबित किया जाता है।

(ii) निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता(मु0), योजना एवं स्थापना का कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना में निर्धारित किया जाता है।

(iii) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत निलंबन अवधि में श्री चौधरी को जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा ।

(iv) यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र में प्रकाशित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(रंजीत कुमार झा)

सरकार के अवर सचिव

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांकः- /पटना,दिनांकः-

ई मेल/स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपिः- अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार पटना को उनके पत्रांक-5686 दिनांक-03.08.2026 के संदर्भ में एवं श्री अरविंद कुमार चौधरी, प्राक्कलन पदाधिकारी-सह-सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, रोहतास, सासाराम को कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, रोहतास, सासाराम के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः- /पटना, दिनांकः-

ई मेल/स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः- वित्त विभाग(ई-गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में (सी0डी0 के साथ) प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु0-यथोक्त ।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः- /पटना, दिनांकः-

परिचारी बही

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता(मु0), योजना एवं स्थापना, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, रोहतास सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः- 5230 /पटना,दिनांकः-10/8/26

परिचारी बही

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी, निगरानी स्वच्छता पटल, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10/08/26

सरकार के अवर सचिव